

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-1642 दिनांक- 09.03.2021 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-31.03.2021 में मद संख्या-19 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

19. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021 का गठन के संबंध में।

19. स्वीकृत।

सं.वि.-भवन-03/स्था. २००७/२०१६
दिनांक- 31-3-21
प्रति- 5-4-21

अपुनः
31/3/21

6/4/21
कुमार रवि

31.3.21
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

वि.सं.
6/4/21
मनीष कुमार

5/4/21
राकेश कुमार

उप सचिव (आ.न.)

S.O.

06/04/21

(दीपक कुमार साहु)

लीनीर
6/4/21

मो.प्र.ग.उ. सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृत प्रतिलिपि। भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक- 1642 दिनांक- 09.03.2021 में सन्निहित प्रस्ताव तथा "बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2021 का गठन" मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 31.03.2021 में मद संख्या-19 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं उक्त बैठक में निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2021 का गठन के संबंध में।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021
सं0सं0-भवन-3/स्था0-ए0 07/2016... 2415 (3) पटना, दिनांक:- 06/4/21

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017" को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) यह नियमावली, "बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-2(iv) का प्रतिस्थापन। - उक्त नियमावली का नियम 2(iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -
" (iv) आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग।"
3. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-10 के उपनियम (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन तथा उपनियम (4) का अन्तःस्थापन - उक्त नियमावली के नियम-10 के उपनियम (1) एवं (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित तथा उपनियम (4) को निम्नरूपेण अन्तःस्थापित किया जाता है -
"10. चयन की प्रक्रिया।-(1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (विद्युत) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो उस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम-(2)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी:-

पूर्णांक

(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	-	75 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या-5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	-	25 अंक

कुल - 100 अंक"

(4) "विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (विद्युत) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

- (क) इस नियमावली के नियम-5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटैक्निक संस्थानों से विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्हें आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम-10(2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।
- (ख) शेष रिक्त इस नियमावली के नियम-9(1)(ii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता के आधार पर नियम-10(2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ग) कंडिका-(ख) के रिक्ति पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर कंडिका-(क) के अवशेष आरक्षित पदों को, राज्य के अधीन सरकारी पोनिंटेक्निक्स से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जायेगा।"

4. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-11 का प्रतिस्थापन। - उक्त नियमावली का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -
- "11. आयोग नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
6/4/21
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सं०सं०-भवन-3/स्था०-ए०-07/2016.....2415 (व)
पटना, दिनांक:- 06/4/21

बिहार भवन निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली-2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित (संशोधन) नियमावली-2021 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
6/4/21
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT (amendment) RULES-2021

No-Building-03/Estt.-A.-07/2016...2415 (Bh)

Date-.....06/4/21

In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Building Construction Department Subordinate Engineering (Electrical) cadre Recruitment Rules 2017:-

- Short title, extent & Commencement**
 - (1) These Rules may be called the "BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT (amendment) RULES-2021"
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come in force at once.
- Substitution of Rule-2(iv) of BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT RULES-2017 - Rule-2(iv) of the said rules shall be substituted by the following :-**

"(iv) Commission means The Bihar Technical Service Commission."
- Substitution of Rule-10(1) & (2) and insertion of Rule-10(4) of BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT RULES-2017 - Rule-10(1) & (2) of the said rules shall be substituted and Rule-10(4) be inserted by the following:-**